महत्वपूर्ण
बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021

पत्रांक : 6प / बि0प0नि0–01 / 2021 4978 / पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

डॉ० रणजीत कुमार सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)।
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 01/9/2021

विषय : **बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर चुनाव कर्त्तव्य में प्रतिनियुक्त मतदान पदाधिकारियों को यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता अग्रिम भुगतान किये जाने के संबंध में।**

प्रसंग : **पंचायती राज विभाग का पत्रांक–1638 दिनांक–12.03.2021**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अवसर पर चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त किये जानेवाले कर्मियों को यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता अग्रिम का भुगतान किये जाने के संबंध में आवश्यक निदेश दिये गये हैं।

2. राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के द्वारा प्रत्येक मतदान दल में पीठासीन पदाधिकारी के अतिरिक्त 5 मतदान पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने संबंधी निर्णय लिये जाने के बाद विभाग द्वारा दो अन्य मतदान पदाधिकारियों के लिए यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता भुगतान अग्रिम की दर निर्धारित करने की आवश्यकता महसूस की गयी। आयोग के द्वारा मतदान पदाधिकारी–3 को मतदान पदाधिकारी–3A, 3B और 3C के रूप में चिन्हित करते हुये मतदान दल में सम्मिलित करने का निदेश दिया गया है।

3. सम्यक विचारोपरान्त मतदान पदाधिकारी–3A, 3B और 3C को निम्नलिखित सारणी में अंकित दरों के अनुसार यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता अग्रिम भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

क्र. स.	कर्मियों का पदनाम	प्रशिक्षण प्राप्ति के दिनों की संख्या	प्रशिक्षण कार्य के लिए भुगतान दर	मतदान / मतगणना के दिनों की संख्या	मतदान / मतगणना कार्य पर भुगतान दर
1.	मतदान अधिकारी–3A	तीन	₹250 /– प्रतिदिन	तीन	₹250 /– प्रतिदिन
2.	मतदान अधिकारी–3B	तीन	₹250 /– प्रतिदिन	तीन	₹250 /– प्रतिदिन
3.	मतदान अधिकारी–3C	तीन	₹250 /– प्रतिदिन	तीन	₹250 /– प्रतिदिन

(कृ०पृ०उ०...)

उपर्युक्त भुगतान की राशि में यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता दोनों सम्मिलित हैं। इसकी सूचना कृपया सभी संबंधितों को दे दी जाये।

4. प्रस्ताव पर राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

31/8/21

(डॉ० रणजीत कुमार सिंह)
निदेशक

ज्ञापांक : 6प / बि0प0नि0–01 / 2021 4978 / पं०रा०   पटना, दिनांक 01/9/2021

प्रतिलिपि : सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/8/21

(डॉ० रणजीत कुमार सिंह)
निदेशक